मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-18.08.2017 को अपराह्न 05.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित एक मामले पर चर्चा किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार के अनुसार उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। उक्त मामले में उपस्थिति के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा लंबित मामलों पर की जाने वाली कार्रवाई पर क्षोभ व्यक्त किया गया। उक्त मामले में राज्य सरकार की ओर से चार वर्ष तक अपील दायर नहीं किया गया था। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को अपील दायर करने के मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

2. बैठक के आरंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विद्वान महाधिवक्ता, बिहार को राज्य सरकार के समक्ष उत्पन्न होने वाले समस्याओं से अवगत कराने के क्रम में बताया गया कि राज्य सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले मामलों के संबंध में कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है जबकि कुछ समस्याओं का समाधान किया जाना अपेक्षित है। विभागों द्वारा किए जा रहे अनुरोध के अनुसार सभी विभागों में विभागवार अधिवक्ता प्रदान किए गए हैं। साथ ही, यदि किसी अधिवक्ता द्वारा उचित प्रकार से कार्य नहीं किया जाता है तो संबधित विभाग के द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में उक्त अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी किया गया है।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विरुद्ध लंबित मामलों की समीक्षा हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा चलाये जा रहे कार्यप्रणाली पर चर्चा किया गया। मुख्य सचिव, बिहार ने विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा तैयार किये गये विभिन्न विभागों के लम्बित वादों की समीक्षात्मक प्रतिवेदन पर टिप्पणी किया गया कि उक्त समीक्षात्मक प्रतिवेदन से विशेष फायदा नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि विगत कुछ महीनों से CWJC/MJC के लंबित मामलों की संख्या में कमी आयी थी परन्तु इस माह तक उक्त संख्या पुन: 20,000 से अधिक हो गयी है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग से लंबित मामलों एवं उक्त मामलों में विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने में किए जा रहे असंतोषजनक प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की गई है। मुख्य सचिव, बिहार के अनुसार सभी विभागों को लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु अपेक्षित सुविधाएँ प्रदान कर दी गई है, इसके बाद भी इस दिशा में असंतोषजनक प्रदर्शन करना चिंता की बात है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस संबंध में विधि विभाग को निर्देश दिया गया है कि सचिव, विधि विभाग अपने स्तर से गहन रूप से समीक्षा कर वैसे विभागों को चिन्हित कर उनके संज्ञान में लाये जाये ताकि शिथिलता बरतने वाले विभाग के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय।

4. विधि सचिव द्वारा इस संबंध में पूर्व में दिनांक- 18.05.2017 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिए गए आदेश की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया गया कि उक्त बैठक में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने में विगत एक वर्ष के आँकड़ों की समीक्षा

कर निरंतर असंतोषजनक प्रदर्शन करनेवाले विभागों से स्पष्टीकरण पूछे जाने का निर्देश दिया गया था। उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से संबंधित विभागों को इस संबंध कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। उक्त पत्र के आलोक में अब तक मात्र तीन ही विभाग के द्वारा अपना स्पष्टीकरण विधि विभाग को उपलब्ध कराया गया है तथा अन्य का प्रतिवेदन लंबित है। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा उक्त विभागों की सूचना संचिका के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि संबंधित विभागों पर अपेक्षित कार्रवाई किया जा सके।

5. बैठक में उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा भी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अपने कुछ सुझाव रखा गया। विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा महाधिवक्ता के पद पर उनके चयन हेतु राज्य सरकार को धन्यवाद दिया गया तथा सभी विभागों से उक्त पद की जिम्मेदारियों को निभाने हतु अपेक्षित सहयोग प्रदान कराने का अनुरोध किया गया। बैठक के समक्ष विद्वान महाधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले मामलों से संबंधित सरकार की समस्या एवं इस संबंध में उनके सुझाव को प्रस्तुत किया गया, जो निम्न है:-

* अवमाननावाद (MJC) के मामले पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में लगभग 4000 MJC मामले लंबित है। इस संबंध में सरकार के द्वारा उचित समय पर अपेक्षित कार्रवाई किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में सरकार के पदाधिकारियों पर की जानी वाली टिप्पणीयों से वो दुखी हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर किए जाने की कार्रवाई अपेक्षित होती है परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा उक्त दोनों कार्यों में विलंब किया जाता है।

  इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि वैसे विभाग जहाँ अधिक मात्रा में अवमाननावाद के मामले लंबित हैं जैसे कि:- शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि, जिनके पास उक्त MJC के मामलों का सम्पूर्ण रिकार्ड भी वर्त्तमान में उपलब्ध नही है। MJC के संबंध में सरकार के आँकड़ों एवं उच्च न्यायालय, पटना के आँकड़ों में अंतर है। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनकी महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना इस संबंध में वार्ता हुई है। उनके अनुसार महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना MJC के दस्तावेजों को उपलब्ध कराने को तैयार हैं। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित विभागों को निर्देश दें कि वैसे विभाग जहाँ अधिक संख्या में अवमाननावाद का मामले लंबित हैं उनके द्वारा अपने कुछ कर्मचारी को उच्च न्यायालय भेजकर MJC के दस्तावेजों में से उनके विभाग में लंबित MJC की विवरणी प्राप्त करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करें। साथ ही विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित वैसे मामले जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है; के संदर्भ में अपील दायर करने में विलंब करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई करें।

* विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के संदर्भ में चर्चा करते हुए बैठक को बताया गया कि उक्त नीति के तहत् यह प्रावधान किया गया है कि किसी

मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो वह आदेश समान आशय के अन्य मामले पर भी लागू किया जाय। ऐसा करने से उच्च न्यायालय, पटना में दायर होने वाले मामलों की संख्या में कमी आयेगी।

* विद्वान महाधिवक्ता द्वारा वैसे मामले जिनमें राज्य सरकार के एक से अधिक विभाग प्रतिवादी बनाये जाते हैं के संबंध में भी बैठक में चर्चा किया गया। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार इस स्थिति में संबंधित विभागों के द्वारा आपस में समन्वय स्थापित किए बगैर अपने-अपने स्तर से अलग-अलग प्रतिशपथ-पत्र माननीय न्यायालय में दायर किया जाता है। इस स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विभागों के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किए जाते हैं। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया है कि ऐसे विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर ही प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की कार्रवाई करें। इस संबंध में एक कार्यप्रणाली बनाये जाने की आवश्यकता है।

* विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सेवांत लाभ से संबंधित मामले अधिक मात्रा में लंबित हैं। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया है कि सभी विभागों के अंतर्गत विभागीय शिकायत निवारण समिति गठित है। इस समिति में संबंधित विभाग सेवांत लाभ से संबंधित मामलों का निष्पादन कराने का प्रयास करे। इससे बहुत बड़ी संख्या में लंबित मामले निष्पादित हो पायेंगे। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार शीघ्र ही एक लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि वे उक्त मामलों को विभागीय शिकायत निवारण समिति के स्तर से ही निष्पादित कराने के संबंध में संबंधित याचिकाकर्त्ताओं को आदेश दें, तद्नुसार उक्त मामलों को निर्धारित समय सीमा यथा 3 महीने के अन्दर निष्पादित करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

* विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार राज्य सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु विभिन्न विभागों की तरफ से तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने में काफी विलंब किया जाता है। कई बार पत्र भेजनें के बाद भी विभागों के द्वारा तथ्य विवरणी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके तहत् जो तथ्य विवरणी उपलब्ध कराया जाता है वह कंडिकावार तथा समग्र रूप में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सभी विभागों से अनुरोध किया गया कि वे अपने विभाग में लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु यथाशीघ्र तथ्य विवरणी उपलब्ध करायें।

* विद्वान महाधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले मामलों एवं इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर त्वरित कार्रवाई हेतु महाधिवक्ता कार्यालय में राज्य सरकार की ओर से एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार उक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उच्च न्यायालय, पटना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी विधि पदाधिकारियों के द्वारा उचित कार्य नहीं किया जाता है तो इसकी सूचना उन तक पहुँचायी जानी चाहिए ताकि वे अपेक्षित कार्रवाई कर सकें। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विद्वान महाधिवक्ता के उक्त अनुरोध के आलोक में

महाधिवक्ता कार्यालय में दो प्रशाखा पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया।

* विद्वान महाधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों का ई-मेल आई0डी0, फैक्स सं0, टेलिफोन एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया है ताकि संचार व्यवस्था को सुगम किया जा सके। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विधि विभाग को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से विद्वान महाधिवक्ता को उक्त वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कार्रवाई करें।

6. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में चर्चा किया गया कि ऐसे मामले जिनमें एक से अधिक विभाग प्रतिवादी बनाये जाते हैं उन मामलों में से अधिकांश मामलों में एक विभाग नोडल विभाग होता है, जिससे वह मामला संबंधित रहता है। अन्य विभागों के माध्यम से उक्त मुख्य विभाग को सूचना प्रदान करना चाहिए कि वे उक्त मामलों में अपने स्तर से प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की कार्रवाई करें। साथ हीं, मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विद्वान महाधिवक्ता से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त विधि पदाधिकारियों को निर्देश दें कि किसी मामले के दायर होते समय ही यह निर्धारित कर लिया जाय कि वह मामला किस विभाग से मुख्य रूप से संबंधित है। साथ ही, मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बैठक के समक्ष रखे गये उक्त सुझावों पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु सभी विभागों को निर्देश दिया गया।

7. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना यदि किसी मामले में आदेश पारित किया जाता है तो उस स्थिति में संबंधित विधि पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को यह परामर्श यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए कि उक्त मामलें में LPA दायर करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया कि यदि किसी मामले में LPA दायर किया जाता है तो उक्त मामलें में न्यायालय द्वारा Stay दिया जाना चाहिए।

एक अन्य विभाग के द्वारा विद्वान महाधिवक्ता से अनुरोध किया गया कि वे Physical Appearance के मामले पर मुख्य न्यायधीश, उच्च न्यायालय, पटना से विमर्श करें। कई बार देखा गया है कि बिना आवश्यकता के प्रधान सचिव/सचिव को उच्च न्यायालय में Physical Appearance करा दिया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश पटना उच्च न्यायालय के सभी न्यायधीशों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कई बार संबंधित मामले में सहायतार्थ माननीय न्यायालय द्वारा प्रधान सचिव/सचिव को उच्च न्यायालय में Physical Appearance कराया जाता है। वैसी स्थिति में Physical Appearance के मामले को अन्यथा नहीं लेना चाहिए।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता को बताया गया कि कई बार विभाग के विरुद्ध दायर मामलों में विभाग की तरफ से तथ्य विवरणी संबंधित अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी जाती है। संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात् बताया जाता है कि उक्त मामले को List में आने के उपरांत प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। इस स्थिति में उक्त मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाना काफी समय तक लंबित रह जाता है। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे मामले को उनकी जानकारी में लाया जाय तथा आगे से तथ्य विवरणी उपलब्ध कराते समय ही

ईसकी सूचना उन्हें उपलब्ध करायी जाय। कई विभागों के द्वारा अवमाननावाद एवं सेवांत लाभ से जुड़े मामलों की सम्पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने का अनुरोध विद्वान महाधिवक्ता से किया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा विद्वान महाधिवक्ता को दिए गए सुझावों पर अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध विद्वान महाधिवक्ता से किया गया।

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में गत् माह दायर किये गये 1269 मामलों में से राज्य सरकार की ओर दायर किये गये प्रतिशपथ-पथ/कारणपृच्छा पर चर्चा किया गया। मुख्य सचिव, बिहार के अनुसार उक्त 1269 मामलों में से 1049 मामलों में राज्य सरकार की ओर से गत् माह प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किया गया है। लंबित मामलों में यथाशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया।

9. सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त समीक्षात्मक बैठक हेतु **ग्रामीण कार्य विभाग** द्वारा विलंब से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया तथा **सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, गन्ना उद्योग विभाग एवं पर्यटन विभाग** द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को बैठक हेतु ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

29/8/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/.....जे0 पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/17

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/4947.....जे0 पटना, दिनांक-29-08-17

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/17

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।